# फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (फलोदी)

भूपराम पुत्र हनुमानराम **बनाम** मुख्त्यारसिंह पुत्र चंचलसिंह वगैरा

केस्म मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. 289/2024 सन्

| रीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| .11.2024 | राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन करने से पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दुष्टया अपूर्णनीय क्षति होने का प्रतीत होता है अतः ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1097/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर भूमि में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त अराजी में प्रार्थी कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि अधिवक्ता प्रार्थी को, अप्रार्थीगण द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली दिनांक 18.11.2024 को पेश हो।<br><br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>बाप (फलोदी) | |
| 18.11.2024 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तलबी हेतु [illegible] पेश किये जो जारी किये जाकर रजि. एडी. भेजे जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 17.12.24 को पेश हो।<br>[signature] | |
| 17.12.24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली नामे इन्तजार तलबी दिनांक 13/01/25 को पेश हो।<br>[signature] | |
| 13/01/2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने नोटप्रेस कर प्रार्थना-पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नोटप्रेस करने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।<br>सहायक कलक्टर<br>13/01/25 | |